KAISER PERMANENTE

चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति (Medical Financial Assistance Policy) सारांश

Kaiser Permanente का चिकित्सीय वित्तीय सहायता (Medical Financial Assistance (MFA)) कार्यक्रम पात्र मरीजों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिन्हें Kaiser Permanente में मिलने वाली या Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली आपातकालीन स्थिति या चिकित्सीय आवश्यकताओं के लिए भुगतान करने में सहायता की आवश्यकता है। मरीज MFA कार्यक्रम में कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें शामिल है - व्यक्तिगत रूप से, फोन द्वारा, अथवा एक कागजी आवेदनपत्र भरकर प्रस्तुत करने के द्वारा। पात्र होने के लिए मरीजों को निम्नलिखित मानदण्ड आवश्यकताओं को पूर्ण करना आवश्यक है।

वित्तीय सहायता के लिए कौन पात्र है, और क्या आवश्यकताएं हैं?
यह कार्यक्रम निम्न आय वाले, अबीमाकृत, अथवा अयोग्य मरीजों की सहायता करता है, जिन्हें अपने चिकित्सीय देखभाल का पूर्ण या आंशिक भुगतान करने में सहायता की आवश्यकता है। सामान्य तौर पर, मरीज वित्तीय सहायता के लिए तब पात्र होते हैं, जब उनकी सकल घरेलू आय, संघीय निर्धनता दिशानिर्देश (Federal Poverty Guidelines (FPG)) के 350% पर या इससे कम होती है, अथवा असामान्य रूप से उच्च चिकित्सीय व्यय होता है। पात्रता निर्धारण करने तथा आवेदन करने में सहायता करने के लिए मरीजों को, एक वित्तीय काउंसलर से वार्तालाप करना चाहिए।

जो मरीज, चिकित्सीय वित्तीय सहायता के लिए पात्र होते हैं, उनसे आपातकालीन स्थिति या अन्य चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए सामान्य रूप से बिल की गई राशि (amounts generally billed (AGB)) से अधिक राशि नहीं अधिभारित की जाती है। AGB के बारे में सूचना के kp.org/mfa/scal *को देखें।*

क्या Kaiser Permanente सार्वजनिक एवं निजी कार्यक्रम पात्रता के लिए मरीजों को स्क्रीन करता है?
Kaiser Permanente मरीजों को संभावित सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम की पहचान करने में सहायता करता है, जो कि उनकी स्वास्थ्य देखभाल पहुंच आवश्यकताओं में सहायता कर सकते हैं। कोई ऐसा मरीज जो किसी सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम के लिए पात्र समझा जाता है, उसे उन कार्यक्रमों में आवेदन करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में क्या चीजें कवर हैं?
चिकित्सीय वित्तीय सहायता कार्यक्रम किसी Kaiser Permanente चिकित्सा कार्यालय, अस्पताल, फार्मेसी पर अथवा किसी Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा प्रदान की गई चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल को कवर करता है। कवर नहीं की गई सेवाओं के प्रकार में ये चीजें शामिल है - ऐसी सेवाएं जिन्हें किसी Kaiser Permanente प्रदाता द्वारा आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं माना जाता है, बंध्यता उपचार, तथा सरोगेसी सेवाएं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा प्रीमियम। कृपया MFA नीति में अधिक पूर्ण सूची देखें।

क्या कोई भाषा सहायता है?
दुभाषिए उपलब्ध हैं, जिनके लिए आपको कोई व्यय नहीं देना होगा। चिकित्सीय वित्तीय सहायता आवेदनपत्र, नीति तथा यह नीति सारांश आपकी भाषा में उपलब्ध हो सकता है। और अधिक सूचना के लिए 800-464-4000 पर कॉल करें अथवा हमारी वेबसाइट kp.org/mfa/scal पर जाएं।

क्या Kaiser Permanente की कोई वित्तीय सहायता नीति है?
आप Kaiser Permanente की चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति की अपनी नि:शुल्क प्रति के लिए 800-390-3507 पर कॉल करने, इस पते पर डाक भेजने P.O. Box 7086, Pasadena, CA 91109-7086, अथवा हमारी वेबसाइट kp.org/mfa/scal पर जाने के द्वारा अनुरोध कर सकते हैं।

सहायता चाहिए?
चिकित्सीय वित्तीय सहायता आवेदन प्रक्रिया बारे में सहायता या प्रश्नों के लिए कृपया 800-390-3507 पर कॉल करें, अथवा किसी भी Kaiser Permanente अस्पताल में भर्ती विभाग में वित्तीय काउंसलर से वार्तालाप करें।

मैं कैसे आवेदन करूं?
आप चिकित्सीय वित्तीय सहायता के लिए कई तरीकों से आवेदन कर सकते हैं -- कार्यक्रम सूचना के बारे में व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के द्वारा, अथवा फोन द्वारा, अथवा निम्नलिखित से किसी भी स्रोत से कागजी आवेदनपत्र का अनुरोध करने के द्वारा:

- किसी भी Kaiser Permanente अस्पताल में भर्ती या आपातकाल विभाग में वित्तीय काउंसलर
- 800-390-3507 पर कॉल करें
- इस पते पर डाक द्वारा (किसी व्यय के बिना) P.O. 7086, Pasadena, CA 91109-7086
- kp.org/mfa/scal पर जाकर Kaiser Permanente कम्युनिटी वेबसाइट के माध्यम से एक आवेदनपत्र डाउनलोड करें।

कृपया भरे हुए आवेदनपत्र (सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा आवेदनपत्र निर्देश में निर्दिष्ट सूचना समेत) को निकटतम Kaiser Permanente अस्पताल एडमिटिंग अथवा आपातकालीन विभाग को लौटाएं अथवा आवेदनपत्र को इस पते पर द्वारा डाक द्वारा भेजें: MFA Program, P.O. Box 7086, Pasadena, CA 91109-7086.

Kaiser Permanente प्रस्तुत किए गए आवेदनपत्रों के पूर्ण होने पर उनकी समीक्षा करेगा, तथा Kaiser Permanente चिकित्सीय वित्तीय सहायता नीति के अनुसार निर्धारण करेगा कि आप पात्र हैं या नहीं। अपूर्ण आवेदनपत्र के परिणामस्वरूप आपके MFA आवेदनपत्र की प्रोसेसिंग में विलम्ब हो सकता है या या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन Kaiser Permanente आवेदकों को अधिसूचित करेगा तथा आवश्यक समय सीमा के अन्दर अनुपस्थित दस्तावेज या सूचना भेजने का अवसर प्रदान करेगा।

©2018 Kaiser Foundation Hospital;
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.